


भाव - इस्मार्शल मु. मं. - 115/2012

दिनांक	आज्ञा पत्र
2-2-18	<p>त्याचो परतु वकील कपीलांत / रिपो० उपस्थित। गी. मी. पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व जाहानुसार दिनांक 5-4-18 को पेश होऊ</p>
5-4-18	<p>कार-कार काकाज दिनांक 2/2 कपीलांत एवं कपीलांत के वकील कोई होजर नहीं करते। अतः कदम हाजरी एवं कदम परवा स्माक्षित होने से कपील खोरिज की जाती है। पत्रावली बाद तर्तीव तकमील डारिबल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  मुख्य न्यायाधीश एवं पदेन राज्य न्यायाधीश कोकर </p>



Web Copy - Not Official